आत्मसमर्पण से परिस्थिति में परिवर्तन आया। रूस तथा अमरीका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये और क्रमशः उसके उत्तरी व दक्षिणी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने 38th Parallel को विभाजन रेखा भी स्वीकार कर लिया। फिर भी यह एक अस्थायी प्रबन्ध था जिसे कोरिया से जापान के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिये किया गया था। कोरिया की प्रशासन-व्यवस्था के स्थायी हल के लिए 1945 ई. में विभिन्न देशों के विदेश मन्त्रियों का मास्को में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि सम्पूर्ण कोरिया के लिये एक अस्थायी प्रजातन्त्रात्मक सरकार की स्थापना की जाये। लेकिन साम्यवादी उत्तरी कोरिया के लोगों ने जो रूस के प्रभाव में थे, इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया।

रूस के विरोधी दृष्टिकोण के बाद भी संयुक्त राष्ट्र-संघ ने सम्पूर्ण देश में एक सरकार की स्थापना के कार्य हेतु एक अस्थायी कमीशन की नियुक्ति की। यह देश के उत्तरी भाग में रूस के तिरोधी दृष्टिकोण के कारण सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सका किन्तु इसने दक्षिण में संवैधानिक सभा के चुनाव की व्यवस्था कर दी और शीघ्र ही कोरिया के लिए एक प्रजातन्त्रात्मक संविधान का निर्माण कर दिया। 1948 ई. में संयुक्त राष्ट्र-संघ की महासभा ने दक्षिण कोरिया की नयी सरकार को एकमात्र कोरिया की वैधानिक सरकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार कोरिया स्पष्ट रूप से उत्तरी व दक्षिणी कोरिया की दो सरकारों में विभाजित हो गया। दोनों सम्पूर्ण देश पर अपना-अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये लालायित थे। इससे कोरिया में अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी। 24 जून, 1950 ई. को उत्तर कोरिया की सेना ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इस मामले को पुनः संयुक्त राष्ट्र-संघ को सौंपा गया। सुरक्षा परिषद् ने कोरिया की दोनों सरकारों को तुरन्त युद्ध बन्द करने का आदेश दिया। उसने विशेष रूप से उत्तरी कोरिया को 38th Parallel से अपनी सेनाओं को तुरन्त हटाने का आदेश दिया। परन्तु उत्तरी कोरिया ने सुरक्षा परिषद् के आदेशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह संयुक्त राष्ट्र-संघ के संविधान का स्पष्ट उल्लंघन था। इसलिये सुरक्षा परिषद् ने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का निश्चय किया और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये—

(1) उत्तरी कोरिया को एक आक्रामक देश घोषित किया जाये। संयुक्त राष्ट्र-संघ के सभी सदस्य राष्ट्र उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अपनी सेनाएँ हटाने के लिये बाध्य करें।

(2) संयुक्त राष्ट्र-संघ के सभी सदस्य-राष्ट्र दक्षिण-कोरिया को अपनी सम्पूर्ण सहायता प्रदान करें।

(3) अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर के नेतृत्व में उत्तरी कोरिया के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये सभी सदस्य-राष्ट्रों की एक संयुक्त सेना का गठन किया जाये।

उस समय स्थिति और भी गम्भीर हो गयी जब चीन ने उत्तरी कोरिया को सहायता देने का निश्चय किया। 1951 ई. को संयुक्त राष्ट्र-संघ की महासभा ने चीनी गणतन्त्र को आक्रामक घोषित कर दिया। कई माह के युद्ध के बाद दोनों देशों में सन्धि-वार्ता प्रारम्भ हुई किन्तु युद्धबन्दियों की वापसी के प्रश्न पर निर्णय न हो पाने के कारण वार्ता बन्द हो गयी। अन्त में कोरिया की समस्या का अन्त तटस्थ शक्तियों के प्रभावशाली हस्तक्षेप से सम्भव हुआ। 27 जुलाई, 1953 ई. को दोनों पक्षों में सन्धि के बाद संयुक्त राष्ट्र-संघ ने अपनी सेना को वापस बुलवा लिया।

Scanned by CamScanner